

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
गोरधन खोलायत वगैरह –बनाम– फूसी देवी वगैरह

किस्म मुकदमा : 76 भू-राजस्व अधिनियम

अपील संख्या 23/2012

GCMS No. 2012/00049

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	अपील अहकाम की इस हुक्म की तारीख व जजरी नुमा
15.07.2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलाट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 में दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसे शामिल पत्रावली किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम देशनोक खसरा नंबर 928 की 35 बीघा 12 बिस्वा भूमि बतौर खातेदार स्व: उदाराम के नाम दर्ज थी।</p> <p>प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद CSA/165/2023 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक उक्त सिविल प्रकरण में निर्णय नहीं होता, तब तक इस अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक आगामी पेशी दी जाकर लम्बित रखा जाना भी न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा। प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा में रखा जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रकरण में पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रखी जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



9/7/24  
(बन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर